कार्यालय :– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

:: कार्यालय आदेश ::

क्रमांक : 265 दिनांक : 15/12/2020

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 13/ई.वी./2019 दिनांक 17.10.2019 व आदेश क्रमांक 06/विविध/2020 दिनांक 24.11.2020 के अनुसरण में बालोतरा न्यायक्षेत्र में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर को छोड़कर शेष सभी न्यायालय दिनांक 25.12.2020 से 31.12.2020 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में बंद रहेगें।

शीतकालीन अवकाश की उक्त अवधि में इस न्यायक्षेत्र में जिला एवं सेशन न्यायालय बालोतरा, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय बालोतरा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 व संख्या 02 बाड़मेर, विशिष्ठ न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्र) बाड़मेर, पारिवारिक न्यायालय, बालोतरा के न्यायालय में लंबित एवं शीतकालीन अवधि मे प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक आपराधिक (एन.डी.पी.एस प्रकरण सहित) प्रार्थना पत्रों एवं रिमाण्ड आदि के लिये तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 व संख्या 02 बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक प्रकृति के दीवानी कार्य का विधिनुकुल निस्तारण करने हेतु निम्नानुसार न्यायालयों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई अवधि के लिये अधिकृत किया जाता है:–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	अवधि
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, बालोतरा	दिनांक 25.12.2020 से 28.12.2020 तक
2	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर	दिनांक 29.12.2020 से 31.12.2020 तक

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 06/विविध/2020 दिनांक 24.11.2020 के निर्देशानुसार विशिष्ठ न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय, बालोतरा शीतकालीन अवकाश की इस अवधि में दिनांक 30.12.2020 व 31.12.2020 को अपने न्यायालय में उपस्थित रहकर आवश्यक कार्य का निस्तारण करेंगे। उनके द्वारा निर्धारित इन दो दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों के दौरान उनके न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य उपर्युक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा निस्तारित किया जायेगा।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर सहित अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01/02 बाड़मेर, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बालोतरा/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बालोतरा/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा/पचपदरा/सिवाना/बाड़मेर/गुड़ामालानी/चौहटन व अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 व 02 बाड़मेर एवं न्यायाधीकारी, ग्राम न्यायालय, बाड़मेर के न्यायालय में लंबित तथा शीतकालीन अवकाश की इस अवधि में उदभूत होने वाले आवश्यक आपराधिक कार्य यथा जमानत रिमाण्ड तथा आवश्यक दीवानी कार्य का विधिनुकुल निस्तारण हेतु निम्नलिखित न्यायालयों को अधिकृत किया जाता है:–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	अवधि
1	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा	दिनांक 25.12.2020 से 28.12.2020 तक
2	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बाड़मेर	दिनांक 29.12.2020 व 31.12.2020

क्रमशः पृष्ठ 2.....

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बालोतरा (राज.)

उपर्युक्त अधिकृत पीठासीन अधिकारीगण शीतकालीन अवकाश की अवधि में सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर अन्य सभी दिवसों में अपने न्यायालय में उपस्थित रहकर आवश्यक प्रकृति का कार्य निस्तारण करेंगे। इस अवधि के दौरान प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रशासनिक कार्य भी संभावित रहेगा जिसका निस्तारण भी इन अधिकृत अधिकारीगण द्वारा किया जायेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बाड़मेर के न्यायालय में कार्यरत सभी कर्मचारीगण सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर शीतकालीन अवकाश की अवधि में अपने कार्यलय में उपस्थित रहकर कार्य संपादित करेंगे। इसके अलावा उपर्युक्त न्यायालय, जिन्हें शीतकालीन अवकाश की अवधि में आवश्यक कार्य निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया है उस अवधि के दौरान उनके न्यायालय में कार्यरत कर्मचारीगण सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे। शीतकालीन अवकाश की अवधि में आवश्यक कार्य निस्तारण हेतु आवश्यक कार्य के लिये केन्द्रीयकृत नजारत शाखा व प्रतिलिपि शाखा कार्यदिवसों के दौरान खुली रहेगी। इन शाखाओं मे नियुक्त आवश्यक स्टाफ आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादन हेतु उपस्थित रहेंगे।

–सही–
(देवेन्द्र जोशी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

क्रमांक : 10435- 10468 दिनांक : 15/12/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बालोतरा।
2. न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बाड़मेर।
3. विशिष्ठ न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 बालोतरा।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या– 01 / 02, बाड़मेर को प्रेषित कर उन्हें निर्देश दिये जाते है कि इस आदेश की एक प्रति अपने न्यायालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करें।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा।
6. विशिष्ठ न्यायाधीश, अनु.जाति / जनजाति (अ.नि.प्र.), बाड़मेर।
7. जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को प्रेषित कर लेख है कि जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों को इस आदेश से अवगत करावें।
8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर।
9. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–01 व 02, बालोतरा / बाड़मेर।
10. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़ामालानी।
11. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा / बाड़मेर / सिवाना / चौहटन / पचपदरा / गुड़ामालानी।
12. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–01 / 02, बाड़मेर।
13. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, बाड़मेर।
14. सहायक निदेशक, अभियोजन, बाड़मेर।
15. रीडर ग्रेड–I, न्यायालय हाजा।
16. अध्यक्ष, अभिभाषण संघ, बालोतरा / बाड़मेर / सिवाना / चौहटन / पचपदरा / गुड़ामालानी।
17. सूचना पट्ट, जिला न्यायालय, बालोतरा।
18. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उक्त आदेश की प्रति जिला एवं सेशन न्यायालय, बालोतरा की वेबसाईट पर अपलोड करें।
19. रक्षित पत्रावली।

Joshi

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा